71/14 हरेंद्र वगैरह बनाम मांगे गोविंद

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] पत्रावली पेश हुई [illegible] संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। [illegible] साहब ~~दौरे~~ ~~पर/अवकाश पर/~~अन्य [illegible] में व्यस्त है। पत्रावली दि०..2-2-2021...को पेश हो। रीडर	
[illegible] वकील प्रार्थीगण उप०। T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० [illegible] को पेश हो।	
[illegible] वकील प्रार्थीगण उप०। T. I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार [illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

पुत्रान श्री रूग्गी जाति माली निवासी ग्राम खानपुर बडौदा ढाणी पैमापुरा तहसील गंगापुर सिटी —प्रार्थीगण

बनाम

श्री गोविन्द जी विराजमान ग्राम चूली जरिये पुजारी शिम्भू पुत्र मिश्रया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण व दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 601 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 753/1 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, 754 रकवा 2 विस्वा, 755/1 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम खानपुर बडौदा तहत तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 12 के पूर्वज, स्वर्गीय श्री पैमा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है तथा आराजी खसरा नम्बर 753/2 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व खसरा नम्बर 755/2 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा व अन्य आराजी स्थित ग्राम खानपुर बडौदा बुधराम पुत्र हरफूल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है।प्रार्थीगण व दावें मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 के बुजुर्ग पैमा व उक्त बुधराम ने अपनी उक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 753/1 व 755/2 को अदल बदल कर लिया। यानि पैमा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 753/1 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा पैमा ने बुधराम को दे दी तथा बुधराम ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 755/2 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा पैमा को दे दी। इस तरह साबिक आराजी खसरा नम्बर 755/1 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा, 755/2 रकबा 1 बीघा विस्वा, 754 रकवा 2 विस्वा एवम् खसरा नम्बर 601 रकवा 5 बीघा 15 विस्वा, स्थित ग्राम खानपुर बडौदा पैमा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है। इसमें से खसरा नम्बर 601 रकवा 5 बीघा 15 विस्वा पैमा द्वारा श्रीचन्द को विक्रय की जा चुकी है। एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 757 रकवा 4 बीघा ग्राम खानपुर बडौदा तहत तहसील गंगापुर सिटी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी रही है। एकीकरण में एकीकरण अधिकारियों की गलती के कारण एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 755/1 रकवा 1 बीघा 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

■■ 7 बीघा 6 विस्वा का बनाते हुये प्रार्थीगण व दावे मे दर्ज प्रतिवादी ■■ 3 लगायत 12 के बुजुर्ग पैमा के नाम दर्ज कर दिया जबकि इस नवीन ■■ नम्बर 402 रकवा 7 बीघा 6 विस्वा में 4 बीघा भूमि अप्रार्थी की ■■दारी की भूमि रही है तथा शेष 3 बीघा 6 विस्वा भूमि प्रार्थीगण व दावे में ■ प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 के बुजुर्ग उक्त पैमा पुत्र दयाचंद की ■■दारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। एकीकरण के पश्चात् पैमा की ■ हो जाने से पैमा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर ■ रकवा 7 बीघा 6 विस्वा के राजस्व रिकार्ड मे पैमा के स्थान पर दावे मे ■ प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादिया संख्या 9 के पति व ■■वादिया संख्या 10 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के दादा ■■जीलाल का हिस्सा 1/2 व प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 के रूप मे दर्ज हो ■■। हाल बन्दोवस्त मे साबिक खसरा नम्बर 402 रकवा 7 बीघा 6 विस्वा जो ■■जीलाल व प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी रही है, के नवीन खसरा ■■बर जो 876 रकवा 72 ऐयर व 917 रकवा 1.04 हेक्टर कायम किये गये है। ■ दोनो नवीन नम्बरान की आराजी सेटिलमेन्ट अधिकारियों की गलती के ■■रण अप्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज दी है। उक्त साबिक खसरा नम्बर ■02 रकवा 7 बीघा 6 विस्वा मे एकीकरण मे अप्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त अनुसार केवल 4 बीघा भूमि एकीकरण पूर्व खसरा नम्बर 757 की ही एकीकरण अधिकारियों ने गलती से लगाई थी। इस कारण हाल सेटिलमेन्ट में साबिक खसरा नम्बर 402 रकवा 7 बीघा 6 विस्वा मे से ज्यादा से ज्यादा 4 बीघा भूमि ही नवीन खसरा नम्बर 917 की अप्रार्थी के नाम खातेदारी मे दर्ज की जा सकती थी। नवीन खसरा नम्बर 917 की 04 ऐयर भूमि एवम् खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर की भूमि प्रार्थीगण व रामजीलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी होने से प्रार्थीगण व उक्त रामजीलाल के ही नाम खातेदारी में दर्ज की जानी चाहिए थी। इस तरह हाल खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई खसरा नम्बर 917 की उक्त 4 ऐयर भूमि प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 की पैत्रिक आराजी होने से उक्त भूमि पर शुरू से ही प्रार्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 का कब्जा काश्त रहा है। इसी तरह सेटिलमेंट से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 293/1 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 293/2 रकवा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 293/3 रकवा 12 विस्वा व खसरा नम्बर 292 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा कुल किता 4 कुल रकवा 5 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

...है। हाल सेटिलमेंट में उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर ...रकवा 2 बीघा 17 विस्वा का नवीन खसरा नम्बर 681 रकवा 36 ऐयर ...खसरा नम्बर 293/2 रकवा 17 विस्वा व 293/3 रकवा 12 विस्वा ...न खसरा नम्बर 691 रकवा 79 ऐयर व साबिक खसरा नम्बर रकवा 1 ...विस्वा का नवीन खसरा नम्बर 676 रकवा 33 ऐयर कायम किया गया ...र्थीगण व दावे में दर्ज प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 12 के बुजुर्ग ...लाल ने हाल सेटिलमेंट से पूर्व ही शामिल काश्त की अपनी उपरोक्त ...ी का मौके पर विभाजन बाहमी तौर से कर लिया जिसके अनुसार नवीन ...नम्बर 691 रकवा 79 ऐयर व खसरा नम्बर 676 रकवा 33 ऐयर वाली ...कुल रकवा 1.12 हेक्टर भूमि दावे मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 ...ुजुर्ग रामजीलाल के हिस्से मे आयी। जिस पर वर्तमान मे भी दावे मे दर्ज ...वादी संख्या 3 लगायत 12 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह ...हाल राजस्व रिकार्ड मे रामजीलाल के नाम ही दर्ज चली आ रही है। इसी ...ह हालॅ ख0न0 681 रकबा 36 एयर व हॉल ख0न0 876 रकबा 72 एयर व ...ल ख0न0 876 से लगती हुई खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि कुल रकबा ...12 है0 भूमि प्रार्थीगण के हिस्से मे आयी। जिस पर वर्तमान मे प्रार्थीगण का ...कब्जा काश्त चला हा रहा है लेकिन प्रार्थीगण के हिस्से की उक्त आराजी ...ाल ख0न0 681 रकबा 36 एयर ही प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज ...ी है तथा हॉल ख0न0 876 रकबा 72 व ख0न0 876 से लगती हुए ख0न0 ...917 की 4 एयर भूमि हाल सेटिलमेंट अधिकारियों ने गलत प्रकार से अप्रार्थी ...के नाम दर्ज कर दी है जो गलती दुरूस्त किये जाने योग्य है। इस आराजी हाल खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई हाल आराजी खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे से अप्रार्थी का नाम हजफ किया जाकर प्रार्थीगण को हाल आराजी खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई हाल आराजी खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है तथा उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई हाल आराजी खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्व अधिकारियो की ... के कारण अप्रार्थी के पुजारी शंकर व शिम्भू ने माह फरवरी 2014 में प्रार्थीगण को धमकी दी कि अब तुम इस आराजी हाल खसरा नम्बर 876 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि को काश्त मत करना यह आराजी मंदिर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स0मा0)

आराजी है। मन्दिर की खातेदारी की आराजी कैसे हो सकती है हम बाबा के समय से इस आराजी को काश्त करते चले आ रहे है तो कहने लगे कि लेकिन अब तो यह भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज है हम तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। पुजारियों द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दिए पर सायलान ने उक्त आराजी से संबंधित समस्त राजस्व रिकार्ड की विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त करना शुरू किया। जिन नकलों के प्राप्त से प्रार्थीगण को यह जानकारी हुई कि हाल सेटिलमेंट में सेटिलमेंट कारियों की गलती के कारण प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि त प्रकार से अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई हैं। प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि ताफैसला दावा वह या उसका कोई कारी/प्रतिनिधि/संरक्षक या एनयूटी होल्डर उक्त आराजी हाल खसरा नं0 76 रकवा 72 ऐयर व इससे लगती हुई खसरा नम्बर 917 की 4 ऐयर भूमि स्थित ग्राम खानपुर बडौदा के कब्जे काश्त सायलान में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वंय पैदा करे, ना किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने प्रार्थीगण ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2010–2013, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2003–2023, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2020–23, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2024–27, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2028–31, फोटोकॉपी नकल मिलान क्षेत्रफल हॉल भूप्रबन्ध, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2069–72, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2032–35, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2069–72, फोटोकॉपी नकल साबिक व हॉल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त भूमि गलत रूप से अप्रार्थी मंदिर की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई है। जिसके कारण अप्रार्थी मंदिर के पुजारी प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
पुर सिटी (रा०मा०)

वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे उनकी भूमि हॉल खसरा नम्बर रकबा 72 एयर व इससे लगती हुई भूमि ख0न0 917 की 4 एयर भूमि मौजा कड़ौदा अप्रार्थी की खातेदारी मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिया जाना बताया है। साबिक व हॉल अभिलेख के मिलान के पश्चात एवं विस्तृत साक्ष्य व सबूतो के पश्चात मूल वाद मे ही इस बिन्दू का निर्णय हो सकेगा कि प्रार्थीगण की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी मे भूप्रबन्ध अधिकारियो द्वारा लगी दी गई अथवा नही। वर्तमान स्तर पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जे को देखा जाना है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी मंदिर श्री गोविन्दजी महाराज की खातेदारी मे दर्ज है एवं जब तक अन्यथा प्रमाणित नही हो तब तक भूमि पर खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर [illegible] तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 16-2-2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)